



वाराणसी जोन के अन्तर्गत

वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद,
फैजाबाद, गोरखपुर एवं गोण्डा

आवंटन/
नीलामी तिथि :
22.07.2016

समय :
प्रातः 10.30 बजे

नगरों के आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों, दुकानों, कम्युनिटी फेसिलिटी भूखण्डों एवं भवनों की

नीलामी/आवंटन

नीलामी स्थल : उप आवास आयुक्त, आफिस काम्पलेक्स, जवाहर नगर (भेलूपुर), वाराणसी

सम्पत्तियों का प्रकार/संख्या	कुल संख्या	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	आरक्षित दर प्रति वर्गमीटर	अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन/पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
------------------------------	------------	------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------------

पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी

कम्युनिटी फेसिलिटी-भूखण्ड संख्या - सेक्टर-1 (अनारक्षित)	01	1480.00	28952.00	21.43	
---	----	---------	----------	-------	--

डोमरीली योजना, मिर्जापुर

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या - सी०पी०-114 (अनारक्षित)	01	289.45	19712.00	5.71	
आवासीय भूखण्ड संख्या - 210 (अनारक्षित)	01	43.43	8960.00	0.20	

शाहपुर योजना-2/3, गोरखपुर

दुकानें - एलजीएफएस - 1, 6, 7, 12 (अनारक्षित)	04	9.992 प्रति नग	11.03 प्रति नग	1.11 प्रति नग	
दुकानें - एलजीएफएस - 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 (अनारक्षित)	08	9.633 प्रति नग	10.69 प्रति नग	1.07 प्रति नग	

भरतपुरी योजना, गोण्डा

प्राइमरी स्कूल भूखण्ड - फेज-2 (अनारक्षित)	01	1587.50	8470.00	13.45	
प्राइमरी स्कूल भूखण्ड - फेज-3 (अनारक्षित)	01	1826.82	8470.00	15.48	

अवधपुरी योजना, फैजाबाद

व्यवसायिक भूखण्ड - सी०पी०-1341 / 1 (अनारक्षित)	01	243.81	16800.00	4.10	
व्यवसायिक भूखण्ड - 7	01	208.96	16800.00	0.35	
कियोस्क के-1 से के-4 (अनारक्षित)	04	4.50 प्रति नग	1.80 प्रति नग	0.18 प्रति नग	
प्लेटफार्म पी-3 एवं पी-4 (अनारक्षित)	02	2.00 प्रति नग	1.00 प्रति नग	0.10 प्रति नग	

जी.टी.वी. नगर योजना, इलाहाबाद

ई.डब्ल्यू.एस. - बी-359 / 1 से लगी अतिरिक्त भूमि (अनारक्षित)	01	25.00	20160.00	25200.00	
ई.डब्ल्यू.एस. - बी-359 / 2 से लगी अतिरिक्त भूमि (अनारक्षित)	01	25.00	20160.00	25200.00	

शैक्षिक भूखण्डों हेतु आवेदन पत्र प्रकाशन तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त/जमा कर सकते हैं।

सामान्य सूचना : (1) समस्त सम्पत्तियों की आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा। (2) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सीलड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100/- जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) आवासीय सम्पत्ति हेतु मूल्य का 5 प्रतिशत एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व सीलड बिड के साथ जमा करना होगा। (4) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी नियम शर्तें एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती हैं।

आवास आयुक्त

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निराकरण के लिए
जन-सुविधा केन्द्र
की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। डावल करें :
1800-180-5333 (टोल-फ्री) 0522-2236803
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध है।



IS 15700 : 2005
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सेवोत्तम प्रमाणित
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Website : <http://www.upavp.com> E-mail : info@upavp.com

